POSTAL REG. NO. JAIPURCITY/410/2018-20 (RNI. REG. NO 39658/1983) # ग्रा.ग./2019/अंक 09

मासिक प्रेषण दि. 8 सितंबर, सी.एस.ओ., आरएमएस गाँधी नगर, जयपुर-15

ग्राम गदर

वर्ष 1983 से प्रकाशित

8 सितंबर, 2019 मूल्य 50 पैसे

आपके नाम चिट्ठी

जयपुर से जोग लिखी प्रदीप महता का सबको राम-राम/सलाम ! जैविक खेती का अर्थ है-बिना धरती का शोषण करे अनाज उपजाना। पहले भारत में ऑर्गेनिक यानी जैविक खेती का ही चलन था। उस समय पौधों से ही खेतों के लिए खाद एवं उर्वरक तैयार कर लिए जाते थे। गाय और भैंस के गोबर से खेत को उपजाऊ किया जाता था। इसके बाद जनसंख्या की तीव्र वृद्धि और औद्योगिकरण की दौड़ ने खेती और खानपान का रुख ही बदल ड़ाला।

हरित क्रांति के नाम पर खेती में नए-नए प्रयोग शुरू किए गए। अधिक अन्न उपजाने के लिए खेती में रासायनिक खाद और कीटनाशकों का उपयोग किया जाने लगा। आज रसायनों व कीटनाशकों से युक्त प्राप्त फसलों से मानव की सेहत पर प्रतिकूल प्रभाव और दुष्परिणाम सामने आने लगे हैं। हकीकत यह भी है कि रसायनों के अत्यधिक उपयोग के कारण आज किसानों को भी प्रतिकूल प्रभावों का सामना करना पड़ रहा है।

इसे देखते हुए अब फिर से जैविक खेती का चलन बढ़ रहा है। किसान भी समझने लगे हैं कि हमारे खाद्य पदार्थों और खेती में जहरीले रसायनों व कीटनाशकों के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। जैविक खेती उनके लिए समृद्धिदायक और मिट्टी के लिए फायदेमंद है। साथ ही जब बड़े पैमाने पर जैविक खेती होने लगेगी तो जैविक उत्पाद उचित दामों में मिलने लगेंगे और उपभोक्ताओं तक उनकी पहुंच आसान हो जाएगी।

देश के कई राज्यों में किसान जैविक खेती को अपनाकर लाभान्वित हो रहे हैं। उपभोक्ताओं का भी पिछले कुछ वर्षों से जैविक उत्पादों के प्रति रूझान बढ़ा है।

देश में स्थानीय स्तर पर जैविक प्रक्रिया को अपनाने और बाजार उपलब्ध कराने की जरूरत है, जिससे जैविक उत्पादों का प्रचार-प्रसार हो सके। हमें संकल्प लेना होगा कि हमारी खेती पूरी तरह जैविक पद्धति पर आधारित हो।

उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2019 को संसद एवं राज्यसभा ने दी मंजूरी

उपभोक्ता के हितों की सुरक्षा करने और भ्रामक प्रचार पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाने वाले उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2019 पर राज्यसभा एवं संसद की मुहर लग गई है। इसमें उपभोक्ता अधिकारों के संरक्षण के लिए केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना करने का प्रावधान है। भ्रामक विज्ञापनों पर भारी पेनाल्टी और ई-कॉमर्स फर्मों और इलेक्ट्रानिक डिवाइस बेचने वाली कंपनियों के लिए इसमें सख्त दिशा-निर्देश भी शामिल किए गए हैं।

उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने कहा है कि इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं को अनुचित व्यापार व्यवहारों से होने वाले नुकसान से बचाना और व्यवस्था को सरल बनाना है। अब कहीं से भी उपभोक्ता अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। पहले वह वहीं शिकायत दर्ज करा सकता था, जहां विक्रेता अपनी सेवाएं देता है। नए विधेयक में उपभोक्ता को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी सुनवाई में भाग लेने की इजाजत है। इससे उपभोक्ता का पैसा और समय बचेगा।

मैन्यूफैक्चरिंग में खामी या खराब सेवाओं से अगर उपभोक्ता को नुकसान होता है तो उसे बनाने वाली कंपनी को हर्जाना देना होगा। इस प्रावधान का सबसे ज्यादा असर ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर होगा। क्योंकि, इसके दायरे में सेवा प्रदाता भी आ जाएंगे। नए अधिनियम में जिला, राज्य और राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोगों को स्थानीय उपभोक्ता शिकायत निवारण केंद्रों से भी जोड़ा गया है। इससे उपभोक्ताओं को उचित न्याय मिल सकेगा।

समय पर नहीं पहुंचा कन्यादान, डाक विभाग को देना होगा हर्जाना

जयपुर स्थित मुक्तानंद नगर, गोपालपुरा बाइपास निवासी एस.पी. गुप्ता ने राजस्थान सर्किल के चीफ पोस्ट मास्टर जनरल एवं जयपुर देहात मंडल डाकघर अधीक्षक के खिलाफ उपभोक्ता मंच जयपुर (प्रथम) में परिवाद दायर किया। परिवाद में उन्होंने मंच को बताया कि 24 फरवरी 2014 को उनके सहयोगी अनिल कुमार मिश्रा की पुत्री का विवाह बांदीकुई में होना था। शादी में खुद न जाने के कारण कन्यादान के लिए 20 फरवरी को उन्होंने दुर्गापुरा स्थित डाकघर से 101 रुपए का ई-मनिआर्डर भेजा था। यह मनिआर्डर शादी के 21 दिन बाद 18 मार्च को पहुंचा।

मामले की सुनवाई पर डाक विभाग की ओर से दलील दी गई कि 20 फरवरी से 17 मार्च तक बांदीकुई सर्वर में तकनीकी खराबी चल रही थी, ऐसे में उनका कोई दोष नहीं है। लेकिन विभाग की ओर से सर्वर में क्या खराबी हुई इसके कोई साक्ष्य पेश नहीं किए गए। मंच ने डाक विभाग की ओर से दी गई इस दलील को सही नहीं ठहराया और समय पर मनिआर्डर नहीं पहुंचाने को सेवा में कमी का दोषी माना। उपभोक्ता मंच ने डाक विभाग को आदेश दिया कि वह एस.पी गुप्ता को हुए मानसिक संताप के बदले 3000 रुपए और परिवाद व्यय के 3000 रुपए, यानी कुल राशि 6000 रुपए अदा करें।

मिलने लगे पीएम-किसान योजना के लाभ

केंद्र सरकार ने इस साल प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना (पीएम-किसान) के तहत 10 करोड़ किसानों को लाने का लक्ष्य रखा है। इस योजना के दायरे में आने वाले किसानों को तीन बराबर की किश्तों में सालाना 6000 रुपए दिए जाते हैं।

यह जानकारी केंद्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत अभी तक 5 करोड़ 88 लाख 77 हजार 194 छोटे किसानों को पहली किश्त प्राप्त हो चुकी है। वहीं 3 करोड़ 40 लाख 93 हजार 837 किसानों को दूसरी किश्त जारी कर दी गई है। उन्होंने कहा कि पश्चिमी बंगाल को छोड़ कर इस योजना में सभी राज्य भाग ले रहे हैं। इस योजना के दायरे में देश के सभी 14.5 करोड़ किसान आएंगे भले ही उनकी खेती की जमीन का आकार कुछ भी हो।

जन भागीदारी से दूर हो सकता है कुपोषण

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संयुक्त राष्ट्र की फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गनाइजेशन की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कुपोषण पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा है कि 'हम जन भागीदारी के जरिए कुपोषण को पूरी तरह समाप्त कर सकते हैं।'

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जन भागीदारी से कमजोर मां को स्वास्थ्यवर्धक पोषक भोजन उपलब्ध कराकर न केवल उसे, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी कुपोषण से बचाया जा सकता है और उन्हें स्वस्थ रखा जा सकता है। बिरला ने लोकसभा के सभी सदस्यों को इस अभियान में सक्रिय रूप से भागीदारी सुनिश्चित करने का आग्रह किया।

पहले से ही कर रहे हैं वर्षा जल संचय

स्वच्छता अभियान के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्षा जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाने की अपील करते हुए देश के सभी सरपंचों को जिला कलक्टर के माध्यम पत्र भेजा है। प्रदेश के करीब सभी जिलों में सरपंचों तक यह पत्र पहुंच भी गया है। ग्राम सभाओं में मोदी के पत्र को पढ़कर ग्रामीणों को जागरूक किया जा रहा है।

प्रदेश के ज्यादातर सरपंचों का कहना है कि वे पहले से ही वर्षा जल सहेजने के प्रयास कर रहे हैं। अब ग्रामीणों के सहयोग से इसे अभियान के रूप में लिया जा रहा है। ग्रामीणजन वर्षाजल संचय के लिए संकल्प ले रहे हैं और तालाब खुदवाई, मेढ़ बंदी, टैंक, टांका, एनीकट, खाई आदि बनाने के कामों में अपनी भागीदारी निभा रहे हैं।

कब्र से आकर मुर्दे करते हैं मजदूरी

जैसलमेर जिले की मानासर ग्राम पंचायत जहां पर केंद्र सरकार की मनरेगा योजना के तहत ग्रामीणों को रोजगार की गारंटी देने के चक्कर में पंचायत ने मुर्दों को भी रोजगार की गारंटी दे दी।

योजना के तहत ग्राम पंचायत में मजदूरों की सूची में रणजीता राम, नखता राम जैसे दर्जनों नाम ऐसे हैं जो सालों पहले इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। लेकिन उनके नाम से सरकारी कागजों में मजदूरी करना दिखाया जा रहा है और इसका भुगतान भी नियमित रूप से उठ रहा है। दिलचस्प यह है कि इनका मृत्यु प्रमाण-पत्र खुद पंचायत ने जारी किया है। बावजूद इसके पंचायत उन्हीं को मजदूरी का भुगतान कर रही है।

महिला विकास के लिए बनाई योजनाएं

प्रदेश सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण एवं विकास के लिए इंदिरा गांधी के नाम से सात योजनाएं लेकर आ रही है। इसके लिए महिला एवं बाल विकास विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है। यह सभी योजनाएं जल्द ही लागू कर दी जाएगी। इन योजनाओं पर सरकार 1000 करोड़ रुपए खर्च करेगी।

महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश ने यह जानकारी देते हुए बताया कि महिलाओं को सक्षम बनाने के लिए इन योजनाओं के तहत उद्यमीय प्रोत्साहन, कौशल विकास, कम्प्यूटर का प्रशिक्षण और शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने सहित कई कार्य किए जाएंगे।

ओडिशा के मोदी-प्रताप चंद्र सारंगी

इस बार ओडिशा की बालासोर लोकसभा सीट से चुनाव जीत कर आए बीजेपी सांसद प्रताप चंद्र सारंगी मोदी सरकार में राज्य मंत्री हैं। करीब 64 साल के स्नातक तक पढ़े-लिखे सारंगी का जीवन एकदम सादगी पूर्ण रहा है। उनकी चल-अचल संपत्ति कुल मिलाकर सिर्फ 13 लाख रुपए है।

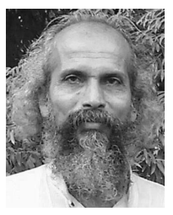

न तो उनके पास कोई बड़ा सा मकान रहा है न ही कोई बड़ा वाहन। लोगों ने उन्हें साइकिल चलाते हुए ही देखा है। उन्होंने अपना पूरा चुनाव प्रचार भी साइकिल से ही किया। ओडिशा में उनकी पहचान सामाजिक सरोकार के कामों की वजह से रही है।

कुर्ता-पायजामा, हवाई चप्पल और कंधों पर झोला टांके साधू वेश जैसे नजर आने वाले सारंगी पहले भी दो बार ओडिशा विधानसभा में भाजपा सीट से विधायक रह चुके हैं। लोगों के बीच समर्पित एवं सादगी पूर्ण जीवन की बदौलत उन्हें लोग ओडिशा का मोदी कहते हैं। सांसद बनने के बाद से वह लोकसभा में काफी चर्चा बटोर रहे हैं।

आदर्श शौचालय बनाने में प्रदेश फिसड्डी

ग्रामीण क्षेत्रों में आदर्श शौचालय बनाने के मामले में प्रदेश के 13 जिले फिसड्डी साबित हुए हैं। प्रदेश की राजधानी सहित कई जिलों में अभी तक कोई प्रगति नहीं होने पर ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग ने नाराजगी जताई है। इस मामले में विभाग के मंत्री सचिन पायलट पहले भी नाराजगी जाहिर कर चुके हैं।

स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत हर ग्राम पंचायत मुख्यालय पर 50 हजार रुपए की लागत से आदर्श शौचालय बनाये जाने हैं। राज्य की आदर्श शौचालय निर्माण की औसत प्रगति मात्र 10.51 प्रतिशत है। अलवर, बांसवाड़ा, बारां, भरतपुर, दौसा, डूंगरपुर, जयपुर, जैसलमेर, कोटा, प्रतापगढ़, सवाई माधोपुर, सीकर और उदयपुर ऐसे जिले हैं, जहां अभी तक इस दिशा में कोई काम ही शुरू नहीं हुआ।

गर्व होता है प्रदेश के इस गांव को देखकर

राजसमंद जिले से करीब 15 किलोमीटर दूर बसा पीपलान्त्री गांव देश ही नहीं दुनिया के लिए एक निर्मल, स्वजल, आदर्श ग्राम और अब पर्यटक ग्राम भी बन गया है। इस गांव में हर बेटी के जन्म पर 111 फलदार पेड़ लगाए जाते हैं। इन पेड़ों की सुरक्षा का बीड़ा भी गांव वाले ही मिलकर उठाते हैं। दीमक आदि से बचाव के लिए वे पेड़ों के चारों ओर एलोवेरा के पौधे भी लगाते हैं।

इसके अलावा गांव के निवासी मिलकर 21 हजार रुपए व बिटिया के माता-पिता 10 हजार रुपए कुल 31 हजार रुपए की बैंक में 20 साल के लिए बिटिया नाम से एफ.डी. भी करवाते हैं। बिटिया के माता-पिता इस बात का लिखित में हलफनामा भी देते हैं कि वे अपनी बेटी को उचित शिक्षा दिलवाएंगे और कानूनी उम्र होने पर ही उसका विवाह करेंगे।

गांव में लगाए गए पेड़ और एलोवेरा के पौधे गांव के निवासियों के लिए उनकी जीविका का साधन बन गए हैं। देश के अन्य गांवों के लिए यह मिसाल प्रेरणा दायक है।

गांवों में उत्थान शिविर लगाएगी सरकार

प्रदेश में अगले साल जनवरी-फरवरी में होने वाले पंचायत चुनाव के मद्देनजर सरकारी मशीनरी का जोर अब गांवों के विकास पर रहेगा। इसे ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने 15 अगस्त से राज्य की सभी 9893 ग्राम पंचायतों में राजीव गांधी ग्रामोत्थान शिविर लगाने का फैसला लिया है।

यह कार्यक्रम दो अक्टूबर तक जारी रहेगा। इन शिविरों में मूलभूत सुविधाओं और आधारभूत ढांचे के विकास से संबंधित कार्य किए जाएंगे। शिविरों के लिए पंचायतराज विभाग ने सभी जिला कलक्टरों और जिला परिषदों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को इस बारे में निर्देश जारी कर दिए हैं। जिलों में जिला परिषद के सीईओ इन शिविरों में नोडल अधिकारी होंगे।

छोटे कर्जदाताओं का होगा कर्ज माफ

सरकार आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के कर्ज माफ करने की योजना बना रही है। कॉरपोरेट मामलों के सचिव इंजेती श्रीनिवास ने कहा है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) को कर्ज से मुक्ति दिलाने के लिए 35 हजार रुपए तक की लोन माफी की योजना बनाई जा रही है।

ऋणशोधन अक्षमता एवं दिवाला संहिता (आईबीसी) के नई शुरुआत प्रावधान के तहत होने वाली इस कर्ज माफी का लाभ उन लोगों को मिलेगा जिनकी वार्षिक आय 60 हजार रुपए से ज्यादा नहीं है और उसके पास खुद का आवास भी नहीं है।

विद्युत वितरण निगम की टोल फ्री नंबर सेवाएं

राजस्थान में वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्र की तीन विद्युत वितरण निगम कंपनियां हैं। इन तीनों कंपनियों ने अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में ग्राहकों की समस्याओं के सामयिक निदान के लिए टोल फ्री नंबर की स्थापना की है। ये टोल फ्री नंबर्स सप्ताह में सातों दिन, चौबीस घंटे सक्रिय रहते हैं। ये टोल फ्री नंबर्स किसी भी फोन द्वारा संपर्क किए जा सकते हैं और कई मायनों में स्थानीय निगम कार्यालय में शिकायत दर्ज करने की अपेक्षा बेहतर है। क्योंकि इन पर घर बैठे शिकायत दर्ज कराई जा सकती है और डिस्कॉम के मुख्य कार्यालय में पंजीकरण की वजह से शिकायत के निदान के लिए निगम को जवाबदेह भी बनाते हैं। हालांकि इन टोल फ्री नंबर्स पर सिर्फ बिजली की अनापूर्ति, ट्रांसफार्मर जलने, असुरक्षित लाइने, बिजली चोरी और कर्मचारी दुर्व्यवहार से संबंधित शिकायतें की जा सकती है।

विद्युत वितरण निगम टोल फ्री नंबर्स:

अजमेर 1800-180-6565 जयपुर 1800-180-6507 जोधपुर 1800-180-6045

अन्य विषयों जैसे बिजली बिल और आर्थिक मुद्दों में स्थानीय विद्युत कार्यालय से संपर्क किया जाना चाहिए।

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक स्वत्वाधिकारी प्रदीप एस महता के लिए भालोटिया प्रिन्टर्स, जयपुर से प्रकाशित।

'अक्षत टावर', डी-217, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302016 फोनः 228 2821 से 23 फैक्सः 0141-228 2485

कम्पोजिंग एवं लेआउट राजकुमार त्रिवेदी, 'कट्स' जयपुर